कार्यालय शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक-शि0नि0(बे0)/विधि-1/धारा-20/2025-26 दिनांक 12 मार्च, 2026

विज्ञप्ति

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या-132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2026 के क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन जनपदों में संविदा/डेलीवेजज पर कार्यरत सी0टी0ई0टी0/टी0ई0टी0 उत्तीर्ण तथा भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित योग्यता धारित करने वाले विशेष शिक्षकों (स्पेशल एजुकेटर) से दिनांक 26.03.2026 को रात्रि 12:00 बजे तक निम्न् प्रारूप पर आवेदन ई0-मेल आई0डी0 upasdia2026@gmail.com पर संलग्नकों सहित उपलब्ध कराया जा सकता है:-

आवेदन का प्रारूप

1. विशेष शिक्षक (स्पेशल एजुकेटर) का नाम:
2. पिता का नाम:-
3. कार्यरत जनपद का नाम:-
4. संविदा/डेलीवेजेज पर कार्यरत होने का अनुबंध पत्र/कार्यादेश:-
5. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार):-
6. गृह जनपद का नाम व पता:-
7. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता:-
8. भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा निर्गत सी0आर0आर0 संख्या:-
9. भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा निर्धारित धारित योग्यता का विवरण:-
10. सी0टी0ई0टी0/टी0ई0टी0 (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण होने का विवरण:-
11. संविदा/डेलीवेजज पर कार्यरत विशेष शिक्षक (स्पेशल एजुकेटर) जो पूर्व में स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं, को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

घोषणा

मैं शपथपूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचना सही व सत्य है, चयन/नियुक्ति के पूर्व अथवा बाद में जाँचोपरान्त कोई विवरण असत्य व गलत पाया जाता है तो सक्षम अधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संबंधित समस्त अभिलेख मेरे पास उपलब्ध है।

आवेदक का हस्ताक्षर
पूरा नाम
तिथि

सामान्य निर्देश

1. विशेष शिक्षक (स्पेशल एजुकेटर) को शैक्षिक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. संविदा/डेलीवेजज पर कार्यरत शैक्षिक सत्र 2025-26 का अनुबंध पत्र/कार्यादेश संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा निर्गत सी0आर0आर0 का प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. सी0टी0ई0टी0/टी0ई0टी0 (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर) का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. अंतिम तिथि के बाद का कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

निदेशक,
बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश।
लखनऊ।